भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 429
19 जुलाई 2022 को उत्तरार्थ

पीएसीएस के लिए आदर्श उप-नियम

429. **श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी:**

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार संपूर्ण देश में लगभग 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को शासित करने के लिए आदर्श उप-नियम लागू करने जा रही है और सहकारी समितियों के लिए राष्ट्रीय स्तर की नीति भी बना रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने सहकारिता नीति पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है और नई सहकारी समितियों को बढ़ावा देने और निष्क्रिय समितियों को पुनर्जीवित करने, सहकारी समितियों के बीच सहयोग और उनकी सदस्यता बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क), (ख) और (ग): जी हां, मान्यवर । प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को बहुउद्देश्य जीवंत व्यावसायिक इकाई बनाने के लिए राज्य सरकारों, राष्ट्रीय सहकारिता संघों और अन्य सभी हितधारकों के परामर्श से प्रारूप आदर्श उप-नियम तैयार किए जा रहे हैं । उनके प्रचालन में पेशेवरता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए इन प्रारूप आदर्श उप-नियमों में विभिन्न प्रावधान शामिल किए गए हैं । यह उल्लेख किया जाता है कि पीएसीएस का पंजीकरण और प्रशासनसंबंधित राज्य सहकारिता कानूनों के अधीन होता है ।

सरकार सहकारिताओं के लिए राष्ट्रीय स्तर की एक नई नीति भी तैयार कर रही है और सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सहकारिता सचिवों/आरसीएस के साथ नई सहकारी नीति पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन दिनांक 12 और 13 अप्रैल, 2022 को किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विधिक अवसंरचना; विनियामक, नीति व प्रचालन अवरोधों की पहचान; सुगम व्यवपार; शासन

सुदृढ़ीकरण हेतु सुधार; नए और सामाजिक सहकारिताओं का संवर्धन; निष्क्रिय समितियों को पुनर्जीवित करने; सहकारी समितियों को जीवंत आर्थिक इकाई बनाने; सहकारी समितियों के बीच सहयोग एवं सहकारी समितियों के सदस्यों में बढ़ात्तरी करने पर विचार-विमर्श किया गया ।

इसके साथ ही 63,000 पीएसीएस के कंप्यूटरीकरण की एक केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना की भी शुरूआत की गई है ताकि उन्हें अपने डिजिटलीकरण में और अपने व्यवसायों को शुरू से अंत तक स्वचलीकरण में और भी अधिक सहायता मिल सके । इससे पारदर्शिता आएगी और पीएसीएस के कामकाज में विश्वसनीयता बढ़ेगी तथा इससे उन्हें ब्याज अनुदान योजनाओं (आईएसएस), पीएएमएफबीवाई, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की विभिन्न सेवाओं और खाद, बीज, आदि जैसे इनपुट प्रदान करने वाली एक केन्द्रीय सेवा प्रदाता केन्द्र बनने में भी मदद मिलेगी । पीएसीएस द्वारा इस अखिल भारतीय आईटी परियोजना और विधिक सुधार अपनाए जाने के माध्यम से पीएसीएस को एक जीवंत बहुउद्देश्य व्यावसायिक इकाई बनने के लिए सक्षम वातावरण का सृजन होगा ।

*****